न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 55 / प्रा.पत्र / 2020	21.09.2020	09.09.2024
(GCMS No. 2020 / 00081)		

राजस्थान सरकार जरिये क्षैत्रीय वन अधिकारी,
रेंज डाबी (वन मण्डल बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1.आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम लाम्बाखोह जरिये राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, बून्दी
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तालेडा
3.पृथ्वीसिंह आ. इन्द्र सिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम गणेशपुरा (मृतक जर्ये कायम मुकामान)
3 / 1.प्रेमकंवर पत्नी स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 2.उध्ववीर सिंह पुत्र स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 3.भंवर सिंह पुत्र स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 4.राम सिंह पुत्र स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 5.ईश्वरकंवर सिंह पुत्री स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 6.लालीकंवर सिंह पुत्री स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 7.रूपकंवर सिंह पुत्री स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा
3 / 8.रेखाकंवर सिंह पुत्री स्व.पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी गणेशपुरा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से श्री कपूरचन्द जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं.3 / 1 लगायत 3 / 8 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एड0

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी पृथ्वीसिंह आ. इन्द्रसिंह कौम राजपूत निवासी गणेशपुरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 232 रकबा 8 बीघा वाकेग्राम बडफू दिनांक 19.12.1978 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 55/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00081 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। जिला अभिलेखागार से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी सं. 3 मृतक पृथ्वीसिंह के वारिसान को प्रार्थना पत्र में कायम मुकाम बनाया गया। वकील अप्रार्थी सं. 3/1 लगायत 3/8 द्वारा दौराने बहस फर्द दस्तावेजात पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 262 नया खसरा सं. 232 रकबा 51 बीघा 06 बिस्वा वाकेग्राम बडफू पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा में विस्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 05.08.1967 से उक्त भूमि ग्राम बडफू वनखण्ड ढसालिया (ए) आरक्षित वनखण्ड में घोषित है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त भूमि राजस्व विभाग की सिवायचक भूमि नहीं होने से उसे आवंटन का अधिकार नहीं होते हुये भी तथ्य छिपाते हुये अप्रार्थी सं. 3 पृथ्वी सिंह को उक्त खसरा सं. 232 किस्म गे0मु0पहाड़ में से 8 बीघा भूमि दिनांक 19.12.1978 को आवंटन कर दी गई, जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत अवैध (Void) होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नामान्तरकरण सं. 128 दिनांक 13.03.1980 से उक्त भूमि पर आवंटी पृथ्वीसिंह को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दिया गया, जो गैर कानूनी एवं विधिविरूद्ध है। उक्त आवंटित भूमि खसरा सं. 232/2 शुद्धिकरण संख्या 55 से खसरा सं. 475/232 क्षेत्रफल 8 बीघा जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में अंकित करवा लिया है जो विधिसंगत नहीं होने से निरस्तनीय है। अप्राथी सं. 3 द्वारा स्वामित्व नहीं होने पर भी नामान्तरकरण एवं जमाबंदी के आधार पर उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं खनन कार्य किया जाना वैधानिक रूप से कानून सम्मत नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर लीजदार सुलोचना पत्नी प्रकाशचन्द धाकड निवासी लाम्बाखोह के द्वारा खनन की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को आवेदित क्षेत्र के चारो ओर वनखण्ड ढसालिया (ए) की घोषित

जिला कलेक्टर, बून्दी

वन भूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2006 को निरस्त किया जा चुका है। इस कारण उक्त वन भूमि पर लीजदार द्वारा 25 मीटर सेप्टिक जोन छोडकर आवेदित खनन कार्य को अवैध होने से रोका जाकर वन क्षेत्र की भूमि सुरक्षित कराया जाना न्यायसंगत है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटिती का उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 475/232 क्षैत्रफल 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, ऐसे में उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश की गई आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही औचित्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3/1 लगायत 3/8 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के 40 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद काफी विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रथमतः मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि लीजधारक सुलोचना पत्नी प्रकाशचन्द धाकड निवासी लाम्बाखोह के हक में खनन पट्टा एम.एल.नं. 115/2003 का सीमांकित क्षेत्र खसरा नं. 232/2 एवं 232/3 वाकेग्राम बडफू में आता है। उक्त सिवायचक भूमि पर खनन कार्य किये जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2005 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। फलस्वरूप अधीक्षण खनि अभियंता खान विभाग द्वारा खनन लीज हेतु स्वीकृति आदेश दिनांक 03.01.2006 को जारी किया गया। किन्तु जिला वन मण्डल अधिकारी बून्दी द्वारा पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2005 को निरस्त करने का आदेश जारी किये जाने के कारण खनिज विभाग द्वारा भी अपने पूर्व स्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध लीजधारक द्वारा दायर की गई सिविल रिट पीटीशन सं. 4149/2008 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2008 स्वीकार की जाकर खनिज विभाग का स्वीकृति आदेश दिनांक 27.11.2008 से एवं वन विभाग की एनओसी दिनांक 01.03.2008 से पुनः बहाल की गई। तत्पश्चात उक्त आराजी के संबंध में खनन कार्य किये जाने हेतु जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2011 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टा अवधि दिनांक 16.9.2011 से 15.9.2061 तक 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत एवं पंजीकृत

जिला कलेक्टर, बून्दी

है। दिनांक 14.08.2018 को जिला वन मण्डल अधिकारी बून्दी एवं प्रार्थी द्वारा उक्त लीज के खनन कार्य को बन्द करने की धमकी दी गई। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा द्वारा आदेश दिनांक 25.09.2018 से प्रार्थी को खनन कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। इस प्रकार उक्त खनन लीज बाबत स्थगन आदेश के प्रभावी होने के बावजूद प्रार्थी द्वारा खनन कार्य को बाधित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र यहां पेश किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 475/232 क्षैत्रफल 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू वर्तमान में प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं होने से आवंटन को खारिज किये जाने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं पंजीकृत खनन क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो राजस्व रिकार्ड के विपरीत एवं आवंटन नियम 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटी पृथ्वीसिंह आ. इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणेशपुरा को मिसल नं. 409 पर दिनांक 19.12.1978 को भूमि खसरा सं. 232 में से रकबा 8 बीघा वाकेग्राम बडफू का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2061–2064 के अनुसार पृथ्वीसिंह आ. इन्द्र सिंह जाति राजपूत सा. गणेशपुरा खसरा संख्या 475/232 रकबा 8 बीघा पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड था। उक्त भूमि आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। जिसके संबंध में प्रार्थी का तर्क है कि आवंटित भूमि वन विभाग की भूमि होने से उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.04.1968 की छायाप्रति पेश की गई है। जिसके अनुसार घोषित वनखण्ड ढसालिया (ए) विस्तार बरूंधन में ग्राम बडफू के खसरा सं. 262 एवं खसरा सं.263 सम्मिलित है। इस संबंध में वकील अप्रार्थी की आपत्ति रही कि वन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.11.2005 से एम.एल.नं. 115/03 में आवेदित क्षेत्र की उक्त आराजी वन सीमा में नहीं आना अंकित करते हुये वन क्षेत्र से 25 मीटर की दूरी छोडकर उक्त आराजी पर खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे वन विभाग द्वारा पुनः पत्र दिनांक 01.03.2008 से बहाल किया जा चुका है। पेरोकार सरकार का कथन है कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी की भूमि नहीं होकर राजकीय सिवायचक भूमि है।

जिला कलेक्टर बून्दी

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 475/232 पर आवंटी पृथ्वी सिंह आ. इन्द्रसिंह राजपूत को प्राप्त गैर खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2076–2078 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी पृथ्वी सिंह को आवंटित भूमि हाल खसरा सं. 475/232 क्षैत्रफल 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू राजकीय सिवायचक भूमि है जो वर्तमान में खाता संख्या 1 मे दर्ज रेकार्ड है। इससे यह भलीभांति प्रकट है कि उक्त आराजी खसरा संख्या 475/232 वर्तमान में आवंटी पृथ्वी सिंह के स्वामित्व में नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज होने से सरकारी भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त राजकीय सिवायचक भूमि के संबंध में राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 475/232 क्षैत्रफल 1.2950 हैक्टेयर वाकेग्राम बडफू राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड भूमि बाबत राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। जहां तक घोषित वनखण्ड ढसालिया (ए) विस्तार बरूंधन में सम्मिलित वन भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का प्रश्न है तो इस संबंध में वन विभाग सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी